न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : **16/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS NO. :- 2022/50

अनवान

1. श्री विजयसिंह पिता स्वरूपसिंह जी सोलंकी निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री शम्भुसिंह पिता रोडसिंह जी राजपूत निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री कालूसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री लालसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती सूर्या कुंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. श्री जोधसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती कमला कुंवर पत्नी लालसिंह राजपूत निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
7. श्रीमती गट्टु कुंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सोलंकीयों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सा0 कानोड।

..........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री निर्मलसिंह शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
3. श्री विकास जोशी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:26 IST
Reason: SelfAttested

—: : निर्णय : :—

दिनांक 27.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सोलंकीयों का खेडा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड की खाता नम्बर 20 की आराजी नम्बर 16, 19, 20, 70/25, 71/44 किता 5 रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौस में विपक्षीगणों की भूमि है। प्रार्थी

एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता है जिससे प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 4, 6, 7 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। अनुपस्थित है। अतः विपक्षी संख्या 4, 6, 7 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में विपक्षी संख्या 5 की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि होकर विवादित है जिस पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 5 व अन्य पक्षकार के बीच आप माननीय न्यायालय में वाद संख्या 189/21 (वाद) अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए, 209 आर.टी. एक्ट के तहत उनवान पर्वतसिंह बनाम जोधसिंह व अन्य का वाद विचाराधिन है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विवादित होने से व माननीय न्यायालय में विचाराधिन होने से पत्थरगढी के आदेश नही किये जा सकते है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात बाबत् एक वाद अन्तर्गत घोषणा व बटवारें का विचाराधिन होना बताया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम अंकित है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि पर बेदखली है। अन्य वाद जो अभी विचाराधिन है जिसमें साक्ष्य, सबूत के आधार पर निर्णय किया जायेगा। अतः प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। विपक्षी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:26 IST
Reason: SelfAttested

से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सोलंकीयों का खेडा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड में खाता नम्बर नया 20 की आराजी नम्बर 16, 19, 20, 70/25, 71/44 किता 5 रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू—प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:26 IST
Reason: SelfAttested